निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 82/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

शंकरलाल जाट पुत्र श्री किशनलाल, निवासी मकान नम्बर 59–बी, एस.एम.एस. कॉलोनी, ब्लॉक–बी, महारानी फार्म जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण जिला जयपुर में लम्बित प्रार्थना पत्र संख्या 03/2023 उनवानी सरकार बनाम शंकरलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

निर्णय दिनांक 19.06.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 03/2020 उनवानी सरकार बनाम शंकरलाल दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. बहस प्रार्थी सुनी गई ।
4. प्रार्थी ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया दिनांक 01.06.2020 को एक इस्तगासा थानाधिकारी शिप्रा पथ जयपुर की ओर से अधिनस्थ के समक्ष अन्तर्गत धारा–145 जाप्ता फौजदारी विरूद्ध प्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध एस.एम.एस. कॉलोनी, ब्लॉक बी, महारानी फार्म दुर्गापुरा स्थित प्लाट संख्या 34, 35, 36, 37 के संबंध में पार्टी संख्या 1 व पार्टी संख्या 2 के मध्य विवाद होने की पूर्ण संभावना है। अतः उपरोक्त भूखण्डों को कुर्ककर उन पर दौराने इस्तगासा रिसिवर नियुक्त किया जावे। विचाराधीन इस्तगासे पर दिनांक 01.06.2020 को थानाधिकारी शिप्रा पथ को रिसीवर नियुक्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पार्टी संख्या 2 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका 1488/22, आदेश दिनांक 01.06.2022 को निरस्त करने के लिये एवं एक अन्य याचिका संख्या 8089/2021 इसतगासा अन्तर्गत धारा–145 जाप्ता फौजदारी का शीघ्र निस्तारण के लिये पेश की थी। उपरोक्त दोनो याचिकाओं पर पार्टी संख्या 2 ने दिनांक 25.02.2022 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर एक पक्षीय आदेश अपने पक्ष में प्राप्त कर लिये। प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में उपरोक्त अन्तरिम आदेश 25.02.2022 को निरस्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई हेतु दिनांक 09.05.2022 नियत की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त आदेश दिनांक 09.05.2022 द्वारा उपरोक्त याचिका का अन्तिम निस्तारण करते हुये पूर्व में पारित सभी आदेश को निरस्त कर दिया एवं अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनो पक्षों का सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि आदेश दिनांक 09.05.2022 के उपरान्त पार्टी संख्या 2 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 246/2020 के चालान प्रस्तुत किया जा चुका है एवं उपरोक्त प्रकरण में पार्टी संख्या 2 के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 942/2022 दर्ज करवाई गई जो कि अन्वेष्णाधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2022 के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं कर रहे है। पीठासीन अधिकारी पार्टी संख्या 2 से मिली भगत करके उपरान्त प्रकरण को लम्बित कर पार्टी संख्या 2 को अनुचित लाभ पहुँचाना चाहते है। प्रार्थी अत्यन्त गरीब व्यक्ति है, जिसने अपनी जमा पूंजी से उपरोक्त भूखण्ड खरीदे थे जिन पर नितिन मिश्रा व शंकर मिश्रा जो कि भू–माफिया है प्रशासन से मिली भगत कर जबरन कब्जा करना चाहते है। उपरोक्त भू–माफियाओं द्वारा इस प्रकरण में कॉ–आपरेटिव रजिस्ट्रार ऑफिस के अनुचित एवं अवैध आदेश प्राप्त किये है। उपरोक्त भू–माफियाओं द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मिली भगत कर रखी है। इसी कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण का जानबूझकर लम्बित कर रखा है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय नहीं मिल सकता है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण, जिला जयपुर से प्रार्थी को न्याय मिलने की कतई सम्भावना नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रार्थी को गौर से सुना गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण से टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी प्रकार का ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण जयपुर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण को निर्देश दिये जाते है कि उनके समक्ष लम्बित प्रकरण का विधि अनुसार उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर शीघ्र मैरिट पर निस्तारण करें।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner